International Environmental
Law Research Centre

Uttar Pradesh Mining Policy, 2017

This document is available at ielrc.org/content/e1723.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ।

खनन नीति, 2017

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ।

खनन नीति, 2017

विषय सूची

		पृष्ठ
1	खनन नीति के मूलमंत्र	1
2	खनन नीति के उद्देश्य	1
3	परिचय	2
4	उद्देश्य पूर्ति की रणनीति	4
5	खनिज अन्वेषण	7
6	खनिज विकास की वर्तमान स्थिति	7
7	खनन प्रशासन की विधिक व्यवस्था	11
8	खनिज परिहार स्वीकृत करने की नीति	11
9	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन	15
10	खनन प्रशासन का सुदृणीकरण	16
11	तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यक्रम	16
12	जिला खनिज फाउन्डेशन डी0एम0एफ0	16
13	टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन	16
14	नागरिक सूचना	17
15	परिशिष्ट 'क'	

उत्तर प्रदेश सरकार
(भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)
खनन नीति 2017

1. खनन नीति के मूलमंत्रः

राज्य सरकार द्वारा सुशासन (Good Governance) एवं भ्रष्टाचार मुक्त (Anti Corruption) के मूल मंत्रों पर आधारित नीति बनाने का संकल्प है जिसमें निम्न मंत्र हैं–

क.	पारदर्शिता	ख.	कानून का राज	ग.	समता
घ.	प्रभावी	ड.	आम सहमति	च.	उत्तरदायी
छ.	भागीदारी				

उपरोक्त मंत्रों के आधार पर निम्न राज्य सरकार द्वारा खनिज सेवा के सभी निम्न तत्वों को प्राप्त करने का लक्ष्य है–

क. खनिजों के विषय में जागरूकता (Awareness)

ख. सर्व सामान्य को खान एवं खनिज़ों तक पहुँच (Accesibility)

ग. सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता (Availability)

घ. खनिजों का मूल्य जन साधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो (Affordability)

ड. उपरोक्त के आधार पर जन साधारण में खनिजों की स्वीकार्यता (Acceptability)

2. खनन नीति के उद्देश्यः

खनन नीति 2017 को निम्न उद्देश्यों के लिए प्रख्यापित की जा रही है :–

(i) खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेष का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास (Sustainable Socio Economic Development)

(ii) खनिजों का संरक्षण (Mineral Conservation)

(iii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology) का संतुलन बनाये रखना

(iv) खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश (State's Own Resouces) 1.85% को बढ़ाकर आगामी 05 वर्षो में 3% किया जाना।

(v) अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्ड की कार्यवाही।

(vi) खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा।

(vii) खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।

(viii) खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित हैं, हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएँ तथा परामर्श उपलब्ध कराना।

(ix) इच्छुक उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना/आंकड़ो की उपलब्धता कराना।

(x) खनिज विकास प्रकिया में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास।

(xi) खनिज विकास हेतु आधुनिक अन्वेषण तकनीक के माध्यम से नये खनिज भण्डारों के अन्वेषण में तीव्रता।

(xii) खनिजों के परिहार की स्वीकृति की प्रकिया को पारदर्शी बनाने हेतु ई–टेण्डरिंग/ई–नीलामी/ई–विडिंग प्रणाली लागू किया जाना तथा खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरलीकृत करते हुए प्रकिया में पारदर्शिता लाना एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।

(xiii) खनन संकियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन।

3. परिचय :–

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। इसका अक्षांश $23^0 52'$ से $31^0 28'$ उत्तर एवं देशान्तर $77^0 3'$ से $84^0 39'$ पूरब है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल की सीमा के साथ उत्तराचंल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां है। उत्तर प्रदेश जनसख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। यह राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जिसका दो तिहाई क्षेत्र मृदा युक्त है। चट्टान युक्त क्षेत्र जो खनिजों के लिए आवश्यक है का 0.5 लाख वर्ग कि0मी0 क्षेत्र दक्षिण में स्थित है।

i. भूगोल :

उत्तर प्रदेश 08 राज्यों –उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार से तथा एक देश नेपाल से घिरा राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल व उत्तराखण्ड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तथा दक्षिण–पूर्व में झारखण्ड व छत्तीसगढ से घिरा हुआ है।

उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रदेश के उत्तरी भाग की तरफ मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण भाग की ओर पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है–

a. उत्तर में गंगा का मैदानी भाग– यह क्षेत्र अत्यन्त ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियाँ है। इसका ढलान 2 मीटर/किलोमीटर है।

b. दक्षिण का विन्ध्याचल क्षेत्र–यह एक पठारी क्षेत्र है, तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है।

यहॉ की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है।

ii. भूमि :

भू–आकृति – उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगौलिक क्षेत्रों गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्चभूमि में बॉटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल

क्षेत्रफल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार–चढ़ाव नहीं है, यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेक्रिन इनकी ऊँचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्चभूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण–पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहॉ ऊँचाई कहीं–कहीं ही 305 से अधिक होती है।

iii. **नदियाँ –**

उत्तर प्रदेश में अनेक नदियॉ है जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल, बेतवा केन, सोन आदि मुख्य है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उदगम स्थान भी भिन्न–भिन्न है, अतः इनके उदगम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियॉ गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियॉ दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियॉ।

iv. **मृदा :**

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग दो–तिहाई भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ. मिट्टी की गहरी परत से ढंका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है, तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतया मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल है।

v. **खनिज सम्पदा :–**
प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज :

मुख्य खनिज –

1	कोयला	7	एन्ड्यूलुसाईट
2	लाइमस्टोन	8	सिलेमनाईट
3	रॉकफास्फेट	9	कॉपर
4	पोटास	10	गोल्ड
5	बाक्साईट	11	आयरन आदि।
6	कैल्साईट	12	प्लेटिनम

उपखनिज –

1	सिलिका सैण्ड	8	ग्रेनाईट–खण्डा/गिट्टी
2	पाइरोफिलाईट–डायस्पोर	9	डोलोस्टोन–गिट्टी
3	डोलोमाईट	10	सैण्डस्टोन–ब्लॉक पटिया/खण्डा गिट्टी
4	ग्रेनाईट डायमेन्शनल स्टोन	11	नदी तल में पाये जाने वाले

			बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर
5	चाईना क्ले,	12	ईट–मिट्टी
6	क्वाटर्ज,	13	साधारण मिट्टी
7	मार्बल,		

4. उद्देश्य पूर्ति की रणनीतिः–

(i) अन्वेषण कार्य :–

खनिजों के अन्वेषण में तीव्रता लाकर महत्वपूर्ण श्रेणी के खनिजों के भण्डारण का सिद्धीकरण कराया जाना जिससे कि उसका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा सके। अन्वेषण के प्रोत्साहन के उद्देश्य से निम्नलिखित खनिजों के क्षेत्रीय अन्वेषण एवं प्रयोगशाला कार्यो को प्राथमिकता दी जायेगी।

a) बहु धात्विक(Multi metallic) एवं नोबल धातुओं के खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम आदि।
b) सिरैमिक एवं रिफैक्ट्री खनिज जैसे चाइना क्ले, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, एण्डालुसाइट एवं सिलिमिनाइट।
c) उच्च कोटि के चूना पत्थर एवं डोलोमाइट।
d) डाइमेंषनल स्टोन जैसे, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन आदि।
e) रेअर अर्थ मिनरल की खोज में तीव्रता लाना।

(ii) निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना –

क्षेत्रों के अध्ययन के उपरान्त ऐसे क्षेत्रों को चिन्हाकिंत किया जायेगा जो तत्काल विकसित किये जा सके तथा उन पर खनिज आधारित उद्योग स्थापित किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हांकित किया जायेगा जहॉ खनिजों की उपस्थिति की कम जानकारी है तथा उनके व्यावसायिक भण्डारों को अभी खोजा जाना शेष है। निम्न श्रेणी (Low grade) के खनिजों का Mineral Beneficiation द्वारा उच्चीकरण कराया जाना।

(iii) सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली :–

खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उपखनिजों के खनन पट्टों/अनुज्ञा पत्रों को ई–टेण्डर/ई–नीलामी/ई–विडिंग के माध्यम से दिया जायेगा। परिहार देने की प्रकिया को सरलीकृत किया जायेगा तथा उसे समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जायेगा।

(iv) खनिज आधारित सूचना :

उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना, परीक्षण एवं अन्वेषण आदि के बारें में जानकारी/सूचना उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना की जायेगी। निदेशालय के वेब पोर्टल पर भी समय–समय पर आवश्यक जानकारियां दी जायेगी।

(v) अवस्थापना सुविधायें :

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अर्न्तगत अवस्थापना सुविधाओं एवं संचार सुविधा को विकसित किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में कार्यालय भवन, दूरभाष, इण्टरनेट तथा ब्राडबैण्ड सुविधायें स्थापित की जायेगी। प्रवर्तन एवं

क्षेत्रीय कार्यो हेतु प्रत्येक जनपद में वाहन तथा खनिज अन्वेषण दल के लिये अलग से वाहनों की व्यवस्था की जायेगी।

(vi) आधारभूत सुविधाएंः

प्रत्येक जनपदों में एक लाभरहित न्यास (Trust) जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से खनिज क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं जैसे–सम्पर्क मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा एवं स्वच्छता आदि से संबंधित कार्य कराये जायेगें। इसके अन्तर्गत जिला खनिज ट्रस्ट के गठन का निर्णय लिया जा चुका है तथा शीघ्र कियान्वित कराया जायेगा।

(vii) विभागीय सचल दलः

अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल का गठन किया जायेगा, जो अवैध खनन की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करेंगे।

(viii) विभागीय सुरक्षा बल :

अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु विभागीय सुरक्षा बल का गठन किया जायेगा। उक्त विभागीय सुरक्षा बल निदेशालय के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(ix) अधिकाधिक क्षेत्रों में परिहार स्वीकृत करना :

खनिज क्षेत्रों का सर्वे कराकर उसे उचित खण्डों में निर्धारित करते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयबद्ध तरीके से परिहार पर स्वीकृत किये जायेगे तथा सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही खनन संकिया सम्पादित करायी जायेगी। अधिकाधिक क्षेत्रों को खनन पट्टे अथवा खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जायेगें ताकि अवैध खनन की सम्भावना न रहें, शासकीय राजस्व प्राप्ति के साथ उद्योगों एवं रोजगार को बढ़ावा मिले।

(x) अवैध खनन/परिवहन में जोखिम वृद्धि (Risk increasment) :

अवैध खनन अथवा खनिजों के अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों अथवा माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वृहतम दण्ड दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। अवैध खनन/परिवहन करने वाले को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :

क. अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित अर्न्तविभागीय विशेष टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जायेगा।

ख. इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि अवैध खनन/परिवहन में जोखिम में वृद्धि हो जिससे कि अवैध खननकर्ता/परिवहनकर्ता हतोत्साहित हो। इस हेतु अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध न्यूनतम दण्ड में वृद्धि व कारावास के दण्ड का प्राविधान किया जाएगा।

ग. अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम में नवीतम तकनीक का उपयोग किया जायेगा। अन्य राज्यों एवं भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये उपायों को सम्मिलित करते हुए **तकनीकी हस्तक्षेप** का उपयोग किया जायेगा, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

a) खनिज क्षेत्रों का Geo fencing
b) जी0पी0एस0 Tracking के माध्यम से खनिज वाहनों पर नियंत्रण एवं Mining Surveillance System की व्यवस्था।
c) CCTV/PTZ युक्त प्रणाली खनन Check गेट पर स्थापित किये जायेगें जिससे Control Command Centre से जोड़ा जायेगा।
d) MM-11 का e-generation
e) चेक गेट पर खनिजों के वजन की व्यवस्था।
f) RFID based आवक् रिकार्ड।
g) Command Control Center की स्थापना।
h) रायल्टी की Online payment की व्यवस्था।
i) परिवहन विभाग एवं व्यापार कर विभाग के साथ System Integration
j) खनिज क्षेत्रों का सैटेलाईट मैपिंग।
k) सभी खानों, स्वीकृत खनन पट्टों, खनिज भण्डारण, खनिज वाहनों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा।

(xi) दोषी पट्टेदारों के विरूद्ध कार्यवाही :

ऐसे पट्टाधारक जो नियम विरूद्ध कार्य करते हुए पाये जायेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद योजित की जायेगी तथा उनका खननपट्टा निरस्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(xii) खनन सम्बन्धी अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन :

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथासंशोधित वर्ष 2015 की धारा 30बी के प्राविधान के अनुसार अधिनियम की धारा 4(1), 4(1ए) के अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार विशेष न्यायालय का गठन किया जायेगा।

(xiii) खनिज क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाए :

जिला खनिज फाउन्डेशन के माध्यम से खनन से प्रभावित व्यक्तियों व क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाए संचालित करायी जायेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अर्न्तगत खनिज क्षेत्रों एवं आस–पास के इलाकों में जनसुविधाओं का विकास कराया जायेगा तथा खनिज क्षेत्रों में परिवहन मार्ग विकसित की जायेंगी।

5. खनिज अन्वेषण :

प्रदेश के चट्टानी क्षेत्रों में भू–तल पर एवं भू–तल के नीचे उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण कर क्षेत्र में खनिज के भण्डार की खोज एवं इसके सिद्धीकरण का कार्य किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा अन्वेषित खनिजों के भण्डारों के आधार पर स्थापित उद्योग

क्र0 सं0	खनिज का नाम	स्थिति /स्थान	खोजे गये भण्डारों की मात्रा (मिलियन टन में)	उपयोग/स्थापित उद्योग
1	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन ($CaCO_3$)	1. कजरहट लाइमस्टोन	125.44	सीमेंट उद्योग स्थापित डाला, चुर्क, (सोनभद्र) चुनार, (मिर्जापुर)
		2. रोहतास लाइम स्टोन,		
		(अ) स्कार्प लाइमस्टोन	21.80	
		(ब) घाघर लाइम स्टोन	118	
		(स) रूदौली लाइमस्टोन	5.50	
		3. रोहतास लाइम स्टोन, कनछ–बसुवारी	69.61	
		4. बिल्ली क्षेत्र सोनभद्र	30	
2.	सिलिका सैण्ड (SiO_2)	लालापुर, गोलहिया शंकरगढ क्षेत्र जनपद – इलाहाबाद मिश्रा अरवारी, नौडिहा, कुर्बियन जनपद–चित्रकूट	150	सिरेमिक टाइल्स उद्योग, खुर्जा ग्लास/चूड़ी उद्योग जनपद–फिरोजाबाद बी0एच0ई0एल0 रानीपुर (हरिद्वार) सोलर पैनल हेतु
3.	पायरोफिलाइट $Al_2Si_4O_{10}(OH)$ डायस्पोर $Al_2O_3.2H_2O$	पालर–गौरारी,, जनपद झांसी मैलार , बार, टोरी, सिरोन, ककरारी, पुराधनकुआँ जनपद ललितपुर, मझगवा हमीरपुर	12.17 0.50	टाल्क पाउडर, कीटनाशक उद्योग हैण्डीक्राफ्ट उद्योग – टीकमगढ/ आगरा फायर ब्रिक्स – झारखण्ड, पश्चिम बंगाल

6. खनिज विकास की वर्तमान स्थिति :–

(i) प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज जिनके खनन से राजस्व प्राप्त हो रहा है

मुख्य खनिज–

A. कोयला–

- जिला–सोनभद्र
- क्षेत्र –बीना, ककड़ी, खड़िया एवं कृष्णशिला
- पट्टाधारक–नार्दन कोल्ड फील्ड लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
- उत्पादन–14.25 मिलियन टन (वर्ष 2016–17)
- रायल्टी रू0 309.42 करोड (वर्ष 2016–17)

B. लाइमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)

- जिला–सोनभद्र
- क्षेत्र–बिल्ली मारकुण्डी, कजरहट,भलुआ, गुरमा
- पट्टाधारक– जे0पी0 एसोसिएट्स
- उत्पादन–26.95 लाख टन (वर्ष 2016–17)
- उपयोग–डाला सीमेन्ट फैक्ट्री
- रायल्टी–रू0 06.60 करोड़ (वर्ष 2016–17)

उपखनिज–

C. सिलिका सैण्ड–

- जिला–इलाहाबाद एवं चित्रकूट
- क्षेत्र–बारा, शंकरगढ़–इलाहाबाद बरगढ़–चित्रकूट
- कुल पट्टे–14
- उत्पादन–2.5 लाख टन (वर्ष 2016–17)
- रायल्टी –रू0 2.5 करोड़ (वर्ष 2016–17)
- उपयोग –ग्लास उद्योग, सोलन पैनल

D. डायस्पोर– पायरोफिलाइट

- जिला –ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
- कुल पट्टे–11
- उपयोग–डायस्पोर का उपयोग रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाने में तथा पायरोफिलाइट का उपयोग रबर, पेन्ट, डिटर्जेन्ट, कीटनाशक, हैन्डीकाफ्ट आदि में किया जाता है।
- रायल्टी–रू0 02 करोड़ (वर्ष 2016–17)

E. ग्रेनाइट डायमेन्शनल स्टोन

- जिला–ललितपुर
- कुल पट्टे–25
- उपयोग –ग्रेनाइट ब्लॉक का निर्यात किया जाता है तथा घरेलू बाजार हेतु कटिंग व पालिशिंग कर स्लैब व टाइल्स बनाये जाते है।
- रायल्टी –रू0 08 करोड़ (वर्ष 2016–17)

F. ग्रेनाइट –खण्डा/ गिट्टी

- जिला– ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा
- कुल पट्टे– 332
- उपयोग–सड़क, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य
- रायल्टी–रू0 340 करोड़ (वर्ष 2016–17)

G. डोलोस्टोन–खण्डा/ गिट्टी

- जिला–सोनभद्र
- कुल पट्टे–107
- उपयोग–गिट्टी बनाने हेतु
- रायल्टी–रू0 130 करोड़ (वर्ष 2016–17)

H. सैण्डस्टोन ब्लाक एवं खण्डा/ गिट्टी

- जिला–सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा
- कुल पट्टे–521
- उपयोग–सड़क निर्माण , बांधों के स्लोप की पिचिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने हेतु पटिया, सैण्ड स्टोन की मूर्तियां

• रायल्टी–रू0 105 करोड़ (वर्ष 2016–17)

I. <u>ईट मिट्टी एवं साधरण मिट्टी</u>

- प्रदेश में 15189 ईट भट्ठे कार्यरत है
- ईट मिट्टी से रायल्टी रू0 195.72 करोड़ (वर्ष 2016–17)
- साधारण मिट्टी की रायल्टी रू0 325 करोड़(वर्ष 2016–17)

J. <u>नदी तल में उपलब्ध उपखनिज</u>

➢ <u>बालू, बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में</u>

- जिला–सहारनपुर, बिजनौर
- उपयोग– निर्माण कार्य हेतु केशर की गिट्टी हेतु

➢ <u>बालू / मौरम</u>

- जिला–जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र
- उपयोग–निर्माण कार्य हेतु

➢ <u>साधारण बालू</u>

- प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में।

(ii) खनिजों का क्षेत्र के भारत के GVA तथा उत्तर प्रदेश के GSVA में योगदान का तुलनात्मक विवरण :

(Rs. Crores)

Sr. no.	Year	Gross VA of mining in India	Total GVA at currecnt price	% Share of Mining in GVA of India	Gross VA of mining in UP	Total GSVA of UP at current pricess	%share of mining in GSVA	State's Own Resources	State's Mining Royalty	% Share of Royalty Income to State on resource
1	2012-13	285776	9205315	3.10%	6888	777716	0.89%	58098.36	722.17	1.24%
2	2013-14	295716	10366266	2.85%	8689	885939	0.98%	66583.22	912.23	1.37%
3	2014-15	313844	11470415	2.74%	9015	973052	0.93%	74272.98	1029.28	1.39%
4	2015-16	296041	12451938	2.38%	10115	1062374	0.95%	81106.29	1222.22	1.51%
5	2016-17	309178	13750786	2.25%	11295	1212440	0.93%	85865.41	1547.25	1.80%
	CAGR	**1.99%**	**10.55%**		**13.16%**	**11.74%**		**10.26%**	**20.98%**	

- राष्ट्रीय स्तर पर खनिजों GVA में अंष गत 5 वर्षो में 3.1% से घटकर 2.25% हो गया है वहीं राज्य में खनिजों से आय का अंश राज्य के स्वयं अर्जित संसाधनों में 1.24% से बढ़कर 1.8% हो गया है।
- प्रस्तावित नीति सुधार से राज्य में यह अंश अगले 5 वर्षो में बढ़ाकर 3% किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(iii) वर्ष 2016–17 के उपखनिजों से प्राप्त आय, उत्पादन व मूल्य अनुमान का विवरण :

क0 सं0	वर्ष 2016–17	रायल्टी की दर	रायल्टी (रू0 लाख में)	उत्पादन (लाख घन मी0 में)	मूल्य अनुमान (रू0 लाख में)
1.	ब्रिक अर्थ	54 रू/हजार	19600.00	6,53.00	98,000.00
2.	बालू	प्रथम श्रेणी – 65 रू/घन मी0 द्वितीय श्रेणी– 55 रू/घन मी0	3315.00	55.23	16,575.00
3.	मोरम	150 रू/घन मी0	3120.00	20.80	15,600.00
4.	ग्रेनाईट	5000 रू/घन मी0ए (बड़ा ब्लॉक) 3000 रू/घन मी0 (छोटा ब्लॉक)	800.00	20.00	4,000.00
5.	स्लेब (सैण्ड स्टोन)	650रू/घन मी0	360.00	0.60	1800.00
6.	बजरी	110 रू/घन मी0	55.00	0.50	275.00
7.	ग्रेनाईट–गिट्टी/बोल्डर	160 रू/घन मी0	34000.00	2,12.50	1,70,000.00
8.	सैण्ड स्टोन–गिट्टी/ बोल्डर	110 रू/घन मी0	10200.00	92.72	51,000.00
9.	डोलोस्टोन–गिट्टी	160 रू/घन मी0	13000.00	81.25	65,000.00
10.	साधारण मिट्टी	30 रू/घन मी0	32500.00	1083.00	1,62,500.00
11.	सिलिका सैण्ड	100 रू/टन	250.00	2.50 टन	1,250.00
12.	पायरोफिलाइट/ डायस्पोर	पायरो0 300 रू/टन डाय0 500 रू/टन	200.00	0.50 टन	1,000.00
13.	कोयला	14 प्रतिशत विक्रय मूल्य का (Ad valorem)	30942.09	14.25 मिलियन टन	–
14	लाइम स्टोन	80 रू/घन मी0	660.00 (1496.00 की छूट प्राप्त)	26.95 लाख टन	10780.00
15	अन्य आय		5723.25		
	योग		**154725.34**		

7. खनन प्रशासन की विधिक व्यवस्था :–

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 (Mines and Minerals Development and Regulation Act-1957) की धारा 13 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य खनिजों का व्यवस्थापन केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है जिसके अर्न्तगत मुख्य खनिजों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खनिज परिहार नियमावली–2016 प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 15 में प्रदेश शासन को उपखनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये है जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 (U.P Minor Mineral Concession Rule-1963) प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 18 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार खनिजों के विकास के सम्बन्ध में नियमावली बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है, जिसके अर्न्तगत मुख्य खनिजों के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली–1988 तथा ग्रेनाइट (उपखनिज) खनिज के लिए, ग्रेनाइट सरंक्षण एवं विकास नियमावाली–1999 प्रख्यापित की गयी है।

- उक्त अधिनियम–1957 की धारा 23–सी में अवैधानिक खनन, परिवहन तथा भण्डारण को नियंत्रित करने हेतु नियमावली बनाने के अधिकार प्रदेश शासन को दिये गये है जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2002 प्रख्यापित की गयी है।

किसी खनिज को उपखनिज घोषित करने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज यथा बालू/मोरम, पहाड़ों के खण्डा/बोल्डर /गिट्टी, ईंट मिट्टी, भराई के उपयोग हेतु साधारण मिट्टी, डायस्पोर–पायरोफिलाइट, सिलिका सैण्ड उपखनिज की श्रेणी में आते है। उपखनिजों को छोड़कर शेष खनिज मुख्य खनिज की श्रेणी में आते है।

8. खनिज परिहार स्वीकृत करने की नीति :–

सभी पट्टों के परिहारों की स्वीकृति ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से ही किया जायेगा। सभी परमिट अथवा पट्टों के लिए वन एवं पर्यावरण अनापत्ति अनिवार्य होगी।

(i) नदी तल के उपखनिजों हेतु :

क. दीर्घकालीन व्यवस्था :

नदी तल के उपखनिजों को यथासम्भव बडे क्षेत्रफल के खण्ड बनाकर ई–टेण्डर/ई–ऑक्शन/ई–बिडिंग के माध्यम से दीर्घकालीन अवधि के लिए वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर खनन पट्टे पर दिये जायेंगे। खण्ड यथासम्भव 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के होंगे। खनिज की उपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से छोटे खण्ड बनाया जाना आवश्यक हो तो क्षेत्रों का क्लसटर बनांकर संगठित किया जायेगा। ऐसे दीर्घकालीन पट्टों की अवधि कम से कम 05 वर्ष की होगी। सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही क्षेत्रों में खनन संकिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ख. अल्पकालीन व्यवस्थाः

यदि किसी कारणवश नदी तल के क्षेत्रों का दीर्घकालीन अवधि के लिए व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो वहां अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जायेगा। अल्पकालीन अवधि, जिसकी अधिकतम अवधि 06 माह होगी, के लिए खनन अनुज्ञा पत्र ई–टेण्डर/ ई–ऑक्शन/ई– विडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।

(ii) स्वस्थानें चट्टान (In Situ Rocks) के रूप में पाये जाने वाले ईमारती पत्थर :

स्वस्थानें चट्टान (In Situ Rocks) किस्म के खनिज निक्षेपों जैसे ग्रेनाइट–खण्डा/गिट्टी/बोल्डर, सैण्डस्टोन–ब्लॉक/खण्डा/गिट्टी, डोलोस्टोन

–गिट्टी आदि के खनन पट्टे वर्तमान में नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाते है तथा उनका एक बार नवीनीकरण किये जाने की भी व्यवस्था है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से क्षेत्रों के व्यवस्थापन के उद्देश्य से स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के खनिज निक्षेपों (Mineral Deposits) के वर्तमान स्वीकृत एवं चालू खनन पट्टे अपनी पट्टा अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त इन खनन पट्टों का नवीनीकरण नही किया जायेगा बल्कि जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जायेंगे, रिक्त क्षेत्रों तथा नये क्षेत्रों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(iii) ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन :

ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन यद्यपि उपखनिज है, परन्तु इसके संरक्षण, सुव्यवस्थित विकास एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–18 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा **ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999** प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने के प्राविधान है। खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने तथा अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के खनन पट्टा नवीनीकरण के प्राविधान है।

उक्त नियमावली– 1999 में ग्रेनाइट खनिज के परिहार स्वीकृत करने की प्रकिया के प्राविधान सम्मिलित नही है, जिसके कारण इनके खनन परिहार उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है।

वर्तमान में जिन क्षेत्रों में ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन खनिज की उपलब्धता सुस्थापित है, उन क्षेत्रों में नियमावली 1963 के अध्याय–2 के प्राविधानों के अन्तर्गत खनन पट्टे अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जाते है तथा उनका नवीनीकरण भी किया जाता है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से क्षेत्रों के व्यवस्थापन के उद्देश्य से वर्तमान में स्वीकृत खनन पट्टे अपनी पट्टा अवधि तक प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त खनन पट्टा का नवीनीकरण नही किया जायेगा। जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जायेंगे, इन क्षेत्रों को ई–टेण्डर/ई–आक्सन

/ई–विडिंग के माध्यम से अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। नये क्षेत्रों को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा (कम्पोजिट लाइसेंस) ई–टेण्डर/ई–आक्सन/ई–विडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि अधिकतम 02 वर्ष तथा प्रोस्पेक्टिंग के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खनन प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना तथा Mining Plan स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(iv) स्वस्थाने चट्टान के रूप में पाये जाने वाले उपखनिज जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे :

31 खनिज को जो पहले मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 के द्वारा उपखनिज के रूप में घोषित किया गया है। घोषित उपखनिजों मे से पायरोफिलाइट–डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, डोलोमाईट, क्वार्टज, चाईना क्ले प्रदेश में पाये जाते है, जिनमें से पायरोफिलाइट –डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, डोलोमाईट के खनन पट्टे वर्तमान में स्वीकृत है। मुख्य खनिज के रूप में इन खनिजों के खनन पट्टे 20 वर्ष की अवधि के लिये किये जाते थे तथा इनका नवीनीकरण व अनुवर्ती नवीनीकरण के भी प्राविधान थे। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथा संशोधित वर्ष, 2015 की धारा–8ए के अनुसार मुख्य खनिजों के खनन पट्टों की अवधि मूल पट्टा स्वीकृति के दिनांक से 50 वर्ष किये जाने के प्राविधान किये गये है।

इस संबंध में प्रस्तावित है कि इन खनिजों के जो खनन पट्टे वर्तमान में चल रहे है वह अपनी अवधि तक प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त खनन पट्टा का नवीनीकरण नही किया जायेगा। इसके उपरान्त क्षेत्र रिक्त होने पर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए ई–टेण्डर/ई–आक्शन /ई–विडिंग के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। नये क्षेत्रों के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा (कम्पोजिट लाइसेंस) ई–टेण्डर/ई–आक्सन/ई–विडिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे जिसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि अधिकतम 02 वर्ष तथा प्रोस्पेक्टिंग के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खनन प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना तथा Mining Plan अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। स्वस्थाने चट्टान किस्म (In Situ Rocks) के ऐसे क्षेत्र जो नवीनीकृत नहीं किये जाएगें तथा उनका परिहार ई–टेण्डर/ ई–आक्शन/ई–विडिंग के माध्यम से किया जायेगा, उन क्षेत्रों के परिहार को अन्तिम आवंटन से पूर्व, पिछले पट्टेदार को उच्चतम निविदा/बोली के बराबर आफर देने का एक अवसर दिया जायेगा बशर्ते कि पिछले पट्टेदार द्वारा पट्टे की सभी शर्तों का पालन सही प्रकार से किया गया हो तथा खनिज की रायल्टी/डेडरेन्ट आदि के मद में कोई बकाया नहीं हो।

(v) साधारण मिट्टी :

प्रदेश में साधारण मिट्टी की उपलब्धता बहुतायत है तथा आवश्यकतानुसार इसका खनन किया जाता है। वर्तमान में साधारण मिट्टी के खनन परिहार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमावली 1963 के अध्याय–6 के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह के लिये खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा निकासी की जाने वाली मात्रा पर विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी जमा करायी जाती हैं। नियमों के अनुसार रायल्टी दर खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत रखा जाता है।

साधारण मिट्टी का बहुतायत प्रयोग कार्यदायी संस्थानों द्वारा निर्माण कार्यो में किया जाता है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए तैयार किये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) में निर्दिष्ट साधारण मिट्टी की मात्रा के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं से एक मुश्त रायल्टी जमा कराकर अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जायेंगे ताकि शासकीय निर्माण कार्य में गति प्रदान की जा सके तथा राजस्व की क्षति न हो, परन्तु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण **परिशिष्ट–'क'** पर संलग्न है।

(vi) ईट–मिट्टी :

प्रदेश में लगभग 16000 ईट भट्ठे कार्यरत है। ईट–भट्ठों की उत्पादन क्षमता भट्ठे के पाये की संख्या पर निर्भर करता है। ईट के निर्माण में भट्ठा मालिकों द्वारा काश्तकारों की सहमति से उनके खेतों से मिट्टी का खनन कर उपयोग किया जाता है। ईट–मिट्टी का खनन सामान्यतः छोटे–छोटे खण्डों में किसानों के अलग–अलग खेतों से किये जाते हैं, जिसके कारण ईट–मिट्टी के खनन की वास्तविक मात्रा का आंकलन व्यवहारिक रूप से नही हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में वाणिज्य कर की भांति ईट–मिट्टी की रायल्टी के लिये एकमुश्त समाधान योजना वर्ष 2005 से प्रभावी है। ईट पथाई के दौरान पलोथन के रूप मे प्रयोग होने वाले बलुई मिट्टी के लिये समाधान योजना अन्तर्गत एकमुश्त रायल्टी के 10 प्रतिशत की धनराशि समाधान योजना में जोड़कर ली जाती है। समाधान योजना की उक्त व्यवस्था आगे भी जारी रखा जायेगा।

9. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन :–

प्रदेश के विकास कार्यों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, भवनों, एवं पुलों आदि का निर्माण कार्य किया जाता है। विकास कार्यों में निर्माण के लिये आवश्यक उपखनिजों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उपखनिजों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि उपयुक्त खनन क्षेत्रों का चयन, खनन क्षेत्रों का विकास व खनन कार्य इस प्रकार सम्पादित कराये जायें कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखते हुये खनिजों के दोहन से अनुकूलतम राजस्व की प्राप्ति हो ताकि प्रदेश का सतत विकास (Sustainable Development) हो सके।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 27.02.2012 के द्वारा खनन क्षेत्रों का क्षेत्रफल, खनन पट्टों की अवधि, नदी तल में खनन की गहराई अधिकतम तीन मीटर या वाटर लेवल जो भी कम हो निर्धारित किया जाना, सेफटी जोन बनाया जाना, सभी प्रकार की खनन

संकियायें खनन योजना के अनुसार सम्पादित कराया जाना, छोटे–छोटे खनन क्षेत्रों की स्थिति में क्लस्टर बनाकर खनन कराया जाना, खानों के रिक्लेमेशन एवं रिहेबिलिटेशन का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन किया जायेगा।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं निर्गत अनुवर्ती अधिसूचनाओं के अन्तर्गत खनन संकियाओं को सम्पादित करने के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू की गई है। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेशों का अनुपालन करते हुये प्रदेश में समस्त उपखनिजों के खनिज परिहार स्वीकृत किये जाने के पूर्व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता हेतु नियमों में प्राविधान कर दिया गया है। खनन पट्टे स्वीकृति उपरान्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तों के अनुसार खनन संकियायें की जायेंगी, जिससे खनिजों के दोहन से होने वाले सम्भावित पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम हो।

10. खनन प्रशासन का सुदृढ़ीकरण :–

प्रथम चरण में खनन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु मण्डल स्तर पर वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिकारी एवं प्रत्येक जनपद में खान अधिकारी, खान निरीक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक तहसील में खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

11. तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यकमः–

प्रदेश में खनन कार्यो का वृहतर विकास हुआ है परन्तु अभी प्रदेश में आई0आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य कही भी खनन तकनीक/अभियंत्रण की डिप्लोमा/डिग्रीस्तर की पढ़ाई नही होती है। आई0टी0आई0 संस्थानों में भी खनन तकनीक का पाठ्यकम सम्मिलित नही है। खनन तकनीक के योग्य अभियन्ताओं/कार्मिकों की आवश्यकता है। प्रदेश के कम से कम दो पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा कम से कम 05 आई0टी0आई0 संस्थानों में खनन तकनीक का पाठ्यकम सम्मिलित किया जायेगा।

12. जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0)

I. "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957" की धारा–9बी के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–489/86–2017–132/2016, दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रत्येक जिलें में एक लाभ रहित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की स्थापना की गयी है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासो की संरचना और उनके कृत्यों के विनियमन हेतु "उ0प्र0 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार खनन संकिया से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के विकास सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

II. मुख्य खनिज एवं उपखनिज के पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रायल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जनपदों में इस निमित्त बनाये गये न्यास में जमा किया जायेगा। मुख्य खनिज के संदर्भ में रायल्टी का प्रतिशत जो जिला खनिज फाउण्डेशन में जमा किया जायेगा, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तथा उपखनिजों के संदर्भ में इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

III. जिला खनिज फाउन्डेशन में जमा धनराशि का उपयोग खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु किया जायेगा।

IV. डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में भी किया जायेगा।

13. **टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन के लिये अधिभार :**

खनिजों के अवैध खनन / परिवहन की रोकथाम हेतु टेक्नोलाजिकल इण्टरवेन्शन के उपयोग में होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु खनन पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रायल्टी के एक प्रतिशत समतुल्य धनराशि अधिभार (Cess) के रूप में वसूल की जायेगी। इसके साथ ही Revenue Sharing के आधार पर निजी क्षेत्र की समस्याओं से प्रर्वतन कार्य हेतु अपनाये जाने पर भी विचार किया जायेगा, जिसमें Technology Provider के तकनीक से अवैध खनन/परिवहन पर दण्ड/जुर्माना से विभाग को जो लाभ प्राप्त होगा, उसका निर्धारित अंश Technology Provider को दिये जाने की नीति बनायी जायेगी।

14. **नागरिक सूचना (Citizen Reporting) :**

जनसामान्य द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर अवैध खनन/ परिवहन के विरूद्व की गयी कार्यवाही से शासन को प्राप्त राजस्व क्षतिपूर्ति का निर्धारित अंश सूचना उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को दिये जाने की नीति बनायी जायेगी। इसके लिए Android/ios app विकसित किया जायेगा।

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

परिशिष्ट–क

साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण–

क0 सं0	मद	अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र/ सूचना	रायल्टी की देयता	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1	खान एवं खनिज मंत्रालय, भारत[1] सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.02.2000 के अनुसार बांधों, सड़कों, रेलमार्गो, भवनों के निर्माण के लिये भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी/साधारण मिट्टी को उपखनिज घोषित किया गया है, के लिये	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ
2	भवन निर्माण से भिन्न ग्रामीण[2] अंचल में छोटे–छोटे गृहो के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा 10 ट्रैक्टर ट्राली अर्थात अधिकतम 40 घन मी0 तक के लिये मिट्टी का उपयोग किये जाने हेतु	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नही	नही
3	शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों[3] कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन खिलौना आदि के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के लिये	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
4	बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुवा[3] समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मतस्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर, जलाशय इत्यादि का बनाये जाने के लिये	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
5	किसानों द्वारा अपने कृषकीय भूमि[3] का बिना मिट्टी परिवहन के समतलीकरण	उपजिलाधिकारी /तहसीलदार/ खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
6	निजी कृषि भूमि पर मिट्टी से मेड़ों को बनाये जाने हेतु	नही	नहीं	नहीं
7	ग्रामीण अंचल में मकान के ऊपर[3] छाये जाने वाली टाइलों (खप्पर) के निजी उपयोग हेतु निर्माण के लिये मिट्टी	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
8	किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि[4] भूमि पर जमें बालू को हटाने हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं

9	सामुदायिक कार्यो जैसे–ग्रामीण[4] तालाबों से गाद (Silt) हटाना, मनरेगा के स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयास से ग्रामीण सड़कों तालाबों, बांधों का संनिर्माण	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
10	बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों[4] की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये तल मार्जन और गाद निकालने हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं
11	सिंचाई या पेयजल के लिये कुंओं की[4] खुदाई	नहीं	नहीं	नहीं
12	जिलाधिकारी के आदेश पर किसी[4] नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिये साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटे जाने हेतु	सूचना	हॉ	नहीं
13	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यवसायिक[5] माल/ बहुमंजलियें काम्पेलक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से कम हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं
14	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यवसायिक[5] माल/ बहुमंजलियें काम्पेलक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से अधिक हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ
15	ईंट भट्ठा हेतु मिट्टी की खुदाई	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ

नोटः–

1. भारत सरकार खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–11.सा0का0नि0 95(अ) नईदिल्ली, दिनांक–03.02.2000 ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–427/एम0–1 ए15/11, दिनांक 10.07.2014 ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1840/एम0–1 ए15/11, दिनांक 01.02.2014 ।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–15.01.2016 ।
5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–09.12.2016 ।

साधारण मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोगों पर आवेदन, रायल्टी की देयता, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट का विवरण–

मद		अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र/ सूचना	रायल्टी की देयता	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	खान एवं खनिज मंत्रालय, भारत[1] सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.02. 2000 के अनुसार बांधों, सड़कों, रेलमार्गो, भवनों के निर्माण के लिये भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी/ साधारण मिट्टी को उपखनिज घोषित किया गया है, के लिये	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ
2.	भवन निर्माण से भिन्न ग्रामीण[2] अंचल में छोटे– छोटे गृहो के निर्माण हेतु पशु गाड़ी अथवा 10 ट्रैक्टर ट्राली अर्थात अधिकतम 40 घन मी0 तक के लिये मिट्टी का उपयोग किये जाने हेतु	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नही	नही
3.	शिल्पकारों, वंशानुगत कुम्भकारों[3] कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन खिलौना आदि के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के लिये	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
4.	बिन्द, मांझी, केवट इत्यादि मछुवा[3] समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मतस्य पालन के प्रयोजन हेतु तालाब, पोखर जलाशय इत्यादि का बनाये जाने के लिये	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया जाना	नहीं	नहीं
5.	किसानों द्वारा अपने कृषकीय भूमि[3] का बिना मिट्टी परिवहन के समतलीकरण	उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खान अधिकारी को सूचना दिया	नहीं	नहीं

		जाना		
6.	निजी कृषि भूमि पर मिट्टी से मेड़ों को बनाये जाने हेतु	नही	नहीं	नहीं
7.	ग्रामीण अंचल में मकान के ऊपर[3] छाये जाने वाली टाइलों (खप्पर) के निजी उपयोग हेतु निर्माण के लिये मिट्टी	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
8.	किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात कृषि[4] भूमि पर जमें बालू को हटाने हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं
9.	सामुदायिक कार्यो जैसे–ग्रामीण[4] तालाबों से गाद (Silt) हटाना, मनरेगा के स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयास से ग्रामीण सड़कों तालाबों, बांधों का संनिर्माण	जिलाधिकारी को सूचना दिया जाना।	नहीं	नहीं
10.	बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों[4] की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये तलमार्जन और गाद निकालने हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं
11.	सिंचाई या पेयजल के लियें कुंओं की[4] खुदाई	नहीं	नहीं	नहीं
12.	जिलाधिकारी के आदेश पर किसी[4] नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिये साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटे जाने हेतु	सूचना	हॉ	नहीं
13.	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यावसायिक5 माल/बहुमंजलीय काम्प्लेक्स जिनमें निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से कम हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु	आवेदन पत्र	हॉ	नहीं
14.	बड़े भूखण्डों पर बनने वाले व्यावसायिक5 माल/बहुमंजलीय काम्प्लेक्स जिनमें	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ

	निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हजार वर्ग मी0 से अधिक हों की नींव की खुदाई/बेसमेन्ट के निर्माण के लिये मिट्टी के खनन हेतु			
15.	ईट भटठा हेतु मिट्टी की खुदाई	आवेदन पत्र	हॉ	हॉ

नोटः–

1. भारत सरकार खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–11.सा0का0नि0 95(अ) नई दिल्ली, दिनांक –03.02.2000 ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–427/एम0–1 ए15/11, दिनांक 10.07.2014 ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1840/एम0–1 ए15/11, दिनांक 01.02.2014 ।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक– 15.01.2016 ।
5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक– 09.12.2016 ।

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–14–06–2017–(414)–500 प्रतियां–(कम्प्युटर/टी/आफसेट)।

: मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ
वेबसाइट–dpsup.up.nic.in
2017